

प्रपत्र क
सार्वजनिक घोषणा

भारतीय दिवाला और ऋण शोध अक्षमता बोर्ड (कार्पोरेट व्यक्तियों के लिए ऋण शोध अक्षमता समाधान प्रक्रिया)
विनियमावली, 2016 के विनियम 8 के अधीन
जे.डी. अनेजा एडिबिलिस् प्राइवेट लिमिटेड के लेनदारों के ध्यानार्थ

संबंधित विवरण	
1. कार्पोरेट देनदार का नाम	जे.डी. अनेजा एडिबिलिस् प्राइवेट लिमिटेड
2. कार्पोरेट देनदार के निगमन की तिथि	03 जनवरी, 2005
3. प्राधिकरण जिसके अधीन कार्पोरेट देनदार निगमित/पंजीकृत है	कार्पोरेट अफेयर्स मंत्रालय, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनियों (आरओसी), जयपुर
4. कार्पोरेट देनदार की कार्पोरेट पहचान संख्या/सीमित दायित्व पहचान संख्या	U15142RJ2005PTC020089
5. कार्पोरेट देनदार के पंजीकृत कार्यालय तथा प्रधान कार्यालय (यदि कोई) का पता	335-336, फेज-11, उद्योग विहार, श्रीगंगा नगर-335002, राजस्थान
6. कार्पोरेट देनदार के संबंध में ऋण शोध अक्षमता आरंभन तिथि	04 जून, 2018 (माननीय एनसीएलटी, दिल्ली के आदेश से सी.पी. नं० आईबी-571 (एनसी)/2017
7. ऋण शोध अक्षमता समाधान प्रक्रिया के समापन की पूर्वानुमानित तिथि	30 नवम्बर, 2018 को (इ-सीलेंसी होने की शुरुआत की तारीख से 180 दिन होने के कारण)
8. अंतरिम समाधान प्रोफेशनल के रूप में कार्यरत ऋण शोध अक्षमता प्रोफेशनल का नाम और रजिस्ट्रेशन नम्बर	मधुसूदन शर्मा IBBI/IFA-003/IP-N00046/2017-2018/10395
9. अंतरिम समाधान प्रोफेशनल का पता और ई-मेल, जैसाकि बोर्ड में पंजीकृत है।	688, वेस्टर्न गिग, सीस हजारी कोर्ट्स, दिल्ली-110064 ई-मेल : madhusudan.ip@gmail.com
10. अंतरिम समाधान प्रोफेशनल का, यत्राचार हेतु प्रयुक्त, पता और ई-मेल, यदि क्र. सं. 9 पर दिए गए से भिन्न है	मधुसूदन शर्मा 54, सीएससी-9, डीडीए मार्केट, सेक्टर-7, रोहिणी, बैंक ऑफ बड़ोडा के पास, दिल्ली 110085 ई-मेल : cirp.jdanejaepl@gmail.com
11. दावा प्रस्तुत करने हेतु अंतिम तिथि	17 जून, 2018 (अंतरिम समाधान प्रोफेशनल की नियुक्ति की तारीख से 14 दिन होने के बाद)

एतद्वारा सूचना दी जाती है कि राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण, नई दिल्ली, ने दिनांक 04 जून, 2018 को जे.डी. अनेजा एडिबिलिस् प्राइवेट लिमिटेड (कार्पोरेट देनदार) के विरुद्ध कार्पोरेट ऋण शोध अक्षमता प्रक्रिया आरंभ करने का आदेश दिया है। जे.डी. अनेजा एडिबिलिस् प्राइवेट लिमिटेड के लेनदारों से एतद्वारा अपने दावों का प्रमाण 18 जून, 2018 को अथवा पूर्व अंतरिम समाधान प्रोफेशनल के समक्ष फॉर्म आइटम 10 के सामने वर्णित पते पर प्रस्तुत करने की मांग की जाती है।

वित्तीय लेनदारों को अपने दावों का प्रमाण केवल इलेक्ट्रॉनिक साधनों द्वारा प्रस्तुत करना होगा। अन्य सभी लेनदार अपने दावों का प्रमाण दस्ती (यजितगत रूप से), डाक द्वारा अथवा इलेक्ट्रॉनिक साधनों द्वारा प्रस्तुत कर सकते हैं। दावे के फर्जी अथवा भ्रामक प्रमाण की प्रस्तुति दंडनीय है। फॉर्म को आईबीआईआई की वेबसाइट <http://ibbi.gov.in> पर डाउनलोड सेक्शन से डाउनलोड किया जा सकता है।

नोटिस कार्पोरेट ऋणदाता के बैंक/वित्तीय संस्थानों को भी दिया जाता है, आईआरपी के पूर्व प्राधिकरण के बिना कार्पोरेट देनदार के बैंक खातों में किसी भी डेबिट की अनुमति नहीं देता है। इस प्रकार आईआरपी को रिपोर्ट करने के लिए कार्पोरेट देनदार के प्रमुख प्रबंधकीय कर्मियों को भी नोटिस दिया जाता है।

हस्ता/-
मधुसूदन शर्मा
अंतरिम समाधान प्रोफेशनल ऑफ
जे.डी. अनेजा एडिबिलिस् प्राइवेट लिमिटेड

स्थान: दिल्ली
तिथि: 05 जून, 2018

शुद्धि पत्र

जे.डी. अनेजा एडिबिलिस् प्राइवेट लिमिटेड के लेनदारों के ध्यानार्थ सार्वजनिक घोषणा के सन्दर्भ में जो सीमा सन्देश के 06.06.18 अंक में पृष्ठ 7 पर प्रकाशित हुई थी। क्रम. सं. 11 पर दावा प्रस्तुत करने हेतु अंतिम तिथि 17 जून, 2018 के स्थान पर 18 जून, 2018 पढ़ा जावे। शेष यथावत।

हस्ता/-

मधुसूदन शर्मा

अंतरिम समाधान प्रोफेशनल ऑफ
जे.डी. अनेजा एडिबिलिस् प्राइवेट लिमिटेड